

# अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 09/2007-08

बंगरु बानरा एवं अन्य।

वनाम

सीता कुई एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह वाद दिनांक 08.10.2007 को 1. बंगरु बानरा, 2. मंगरु बानरा, 3. शंकरा बानरा, तीनों का पिता- स्व० जोन बानरा एवं 6 अन्य, ग्राम- तुईबीर, थाना- कोल्हान, थाना संख्या- 126, पीर चेराये, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Schedule "B" में वर्णित भूमि Suit for declaration the sale deed no.- 1550 दिनांक- 14.09.2004 के आलोक में प्रतिवादी सीता कुई, पति- स्व० वीर सिंह बानरा, ग्राम- तुईबीर, थाना- मुफ्फसिल एवं श्रीमति शीला पाड़ेया, पति- पाईकिराये, ग्राम- लादुरा साई, परगना- कोल्हान, थाना- मुफ्फसिल के विरुद्ध दायर किया गया है। लम्बे समय से स्वयं अथवा अधिवक्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं करने के कारण दोनों पक्षों को नोटिस भेजा गया लेकिन कई तिथि गुजर जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है की वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>lip</i> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: right;"><i>lip</i> 02.05.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	